न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 97/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. वरजू देवी पत्नि मांगीलाल 2. नर्मदा देवी पत्नि श्रीराम खारवाल 3. हीरा देवी पत्नि भीमाराम 4. गंगा देवी पत्नि ओमप्रकाश 5. उगमा देवी पत्नि हरिराम 6. राधेश्याम पुत्र उकारलाल 7. मुकेश पुत्र उकारलाल 8. गीता देवी पत्नि उकारलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 9. ग्राम पंचायत साम्भरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांक 22-4-2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। रिफाईनरी के कारण पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरुद्व रास्ते को एन एच 25 से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम वेदरलाई में एक ग्रेवल सड़क /डामर सडक / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्टीय राजमार्ग संख्या 25 से साजीयाली जोडने वाली सडक कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम वेदरलाई के खसरा नम्बर 321/205 रकबा 30–05 बीघा में से 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 397/205 रकबा 11–00 बीघा में से 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 206/32 रकबा 15–00 बीघा में से 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 13 रकबा 5–19 बीघा में से 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3–08 बीघा में से 0–08 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल :::: में किया गया है, राष्टीय राजमार्ग संख्या 25 से साजियाली रूपजी कंठवाड़ा सरहद तक को जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व [illegible] नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया [illegible]

विप्रार्थी संख्या [illegible] 8 [illegible] राजस्व रेकर्ड में कटान करने की सहमति स्वरूप शपथ–पत्र [illegible] प्रस्तुत किये गये है। विप्रार्थी संख्या [illegible] 8 के द्वारा सहमति स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्र पर [illegible] अपने हस्ताक्षर अगुष्ट किये गये [illegible] खातेदारान की पहचान श्री मदन विश्नोई हल्का पटवारी रिछोली के द्वारा की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत साम्भरा ने सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

ईकबाली जवाब पेश किया गया तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत साम्भरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समुची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकार्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। विपक्षी सरपंच ग्राम पंचायत साम्भरा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब पेश किया गया तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्ला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से रिफाईनरी के कारण पडोस के गांवों ढाणियो व मजरों के अवरूद्ध रास्ते को एन एच 25 से लिंक करने वाले रास्ते के लिए जोडने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्‌ठा ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर रिफाईनरी के कारण पडोस के गांवों ढाणियों व मजरो के अवरूद्ध रास्ते को एन एच 25 से जोडने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे ग्राम वेदरलाई के खसरा नम्बर 321/205 रकबा 30–05 बीघा में से 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 397/205 रकबा 11–00 बीघा में से 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 206/32 रकबा 15–00 बीघा में से 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 13 रकबा 5–19 बीघा में से 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 3–08 बीघा में से 0–08 बीघा, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश खुले न्यायालय में ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:29:54 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner